भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 07/15/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
व्यापार उपचार महानिदेशालय
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग,
5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक : 25 मार्च 2025

अंतिम जांच परिणाम
मामला सं. – एमटीआर 03/2023

विषय :चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की मध्यावधिक समीक्षा

क. मामले की पृष्ठभूमि

समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" के रुप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "पाटनरोधी नियमावली" अथवा "नियमावली" के रुप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए ;

1. चीन जन. गण. (जिसे इसके बाद "संबद्ध देश" के रुप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर (जिसे इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" के रुप में भी कहा गया है) के आयातों में पाटन की प्रकृति और सीमा तथा घरेलू उद्योग पर इसके क्षतिकारी प्रभाव की जांच करने के लिए दिनांक 30 सितंबर 2020 की अधिसूचना के तहत पाटनरोधी जांच शुरू की गई थी। निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) ने दिनांक 28 सितंबर 2021 की अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना फा. स. 6/38/2020-डीजीटीआर के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 27 दिसंबर 2021 की

अधिसूचना संख्या 77/2021 – सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया।

2. अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना संख्या 6/38/2020- डीजीटीआर जारी होने के बाद, चीन जन. गण. से संबद्ध वस्तुओं के एक निर्यातक, अर्थात् हांग्जो हुआवांग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और एक भारतीय आयातक, अर्थात् फकीरसन्स पापचेम प्राइवेट लिमिटेड ने अंतिम जांच परिणामों को चुनौती देते हुए वाणिज्य विभाग (प्रतिवादी संख्या 1), राजस्व विभाग (प्रतिवादी संख्या 2) और निर्दिष्ट प्राधिकारी (प्रतिवादी संख्या 3) के खिलाफ दिनांक 18 अक्टूबर 2021 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष सिविल आवेदन संख्या 16555/2021 प्रस्तुत किया। रिट आवेदकों ने यह तर्क दिया कि निर्यातक के साथ असहयोगी व्यवहार किया गया, जबकि उसने प्राधिकारी द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी और डेटा प्रस्तुत किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकारी को यह निर्देश दिया कि वह उक्त निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रख कर इस संबंध में एक सिफारिश जारी करें। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर, प्राधिकारी ने निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए गए अनुरोध पर विचार किया और दिनांक 10 अप्रैल 2022 को अंतिम जांच परिणाम जारी किए, जिन्हें वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मई 2022 की अधिसूचना संख्या 15/2022- सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत प्रभावी किया गया।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी को हांग्जो हुआवांग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और फकीरसंस पापचेम प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक निर्यातक/ आयातक" के रुप में भी कहा गया है) की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें मार्जिन की मात्रा के पुनः निर्धारण का अनुरोध किया गया था।

4. निर्दिष्ट प्राधिकारी को भारतीय लेमिनेट्स मैन्यूफक्चर्स एसोसिएशन (जिसे इसके बाद "आवेदक एसोसिएशन" के रुप में भी कहा गया है) से उसके सदस्यों सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स (इंडिया) लिमिटेड, मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी और थान्साऊ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से विचाराधीन उत्पाद के दायरे को स्पष्ट करने का अनुरोध करते हुए एक और आवेदन प्राप्त हुआ।

5. और जबकि, आवेदक निर्यातक/ आयातक और आवेदक एसोसिएशन द्वारा दायर किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदनों को देखते हुए, प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च 2023 की अधिसूचना संख्या 7/15/2023- डीजीटीआर के तहत एक

सार्वजनिक सूचना जारी की, जिसमें पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डेकोर पेपर के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की व्यापक मध्यावधि समीक्षा की शुरूआत की गई।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

6. जांच के संबंध में नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया गया है :

क. प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरुआत करने से पूर्व वर्तमान मध्यावधिक समीक्षा आवेदन के प्राप्त होने के संबंध में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को सूचित किया।

ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधिक समीक्षा की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 28 मार्च 2024 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

ग. प्राधिकारी ने भारत स्थित अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश की सरकार, संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को आवेदक निर्यातक/ आयातक और आवेदक एसोसिएशन द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार जांच शुरुआत अधिसूचना की एक प्रति भेजी और उनसे निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।

घ. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार घरेलू उद्योग, ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों और संबद्ध देश की सरकार को भारत में अपने दूतावास के माध्यम से आवेदनों के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई। आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति अन्य हितबद्ध पक्षकारों को, उनके द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार उपलब्ध कराई गई।

ड़. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी :

i. चांगलकेयुआन पेपर कंपनी लिमिटेड
ii. हांग्जो हुआवोन न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iii. किंगडेकोर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड
iv. क्यूफेंग न्यू मैटेरियल लिमिटेड बनाम शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड
v. जियान्हे कंपनी लिमिटेड
vi. झेजियांग जियानहे न्यू मैटेरियल सेल्स कंपनी लिमिटेड

viii ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड

च. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से अनुरोध किया गया था कि वह चीन जन. गण. के निर्यातकों/ उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें।

छ. संबद्ध जांच की शुरुआत के उत्तर में, संबद्ध देश के निम्नलिखित उत्पादकों/ निर्यातकों ने प्रश्नावली प्रतिक्रिया दाखिल करके उत्तर दिया है :

i. चांगलकेयुआन पेपर कंपनी लिमिटेड
ii. हांग्जो हुआवोन न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
iii. किंगडेकोर (झेजियांग) कं, लिमिटेड
iv. शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड
v. विंबोनटेक्नोसेल न्यू मैटेरियल्स, कं, लिमिटेड
vi. जिबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड

ज. प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/ प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी तथा नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग की :

i. आइका लेमिनेट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
ii. सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड
iii. कलर एक्सपर्ट्स
iv. डेको मीका लिमिटेड
v. फकीरसन्स पापचेम प्राइवेट लिमिटेड
vi. फैंसी रोटो प्रिंट्स
vii. ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
viii. जेकेएस डेकोर पेपर एलएलपी
ix. मारुति डेकोर
x. मारुति पेपर चेर्न
xi. मैच ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
xii. मैचवेल
xiii. एमबी पेपर प्रिंट्स प्राइवेट लिमिटेड
xiv. मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xv. माइक्रोटेकप्रिंटेज प्राइवेट लिमिटेड
xvi. पिक्सल प्रिंटर्स
xvii. प्रिंटेक इंडस्ट्रीज
xviii. सांवलिया इम्पेक्स एलएलपी
xix. सराफ सेल्स कॉरपोरेशन

xx. साया पेपर प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड
xxi. शिनडेकोर
xxii. शिवम पेपर प्रिंट
xxiii. सिल्वर पेपर प्रिंट
xxiv. स्लिक मीका प्राइवेट लिमिटेड
xxv. स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
xxvi. सरफेस डेकोर प्राइवेट लिमिटेड
xxvii. तनिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
xxviii. यूनिक डेकोर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
xxix. विनायक डेकोर विजन प्रिंटर्स

झ. संबद्ध जांच अधिसूचना की शुरूआत के उत्तर में, संबद्ध देशों के निम्नलिखित आयातकों/ प्रयोक्ताओं ने प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके प्रतिक्रिया दी है :

क. थान्सौ डेकोर्स प्राइवेट लिमिटेड

ख. फकीरसन्स पापचेम प्राइवेट लिमिटेड

ग. सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड

घ. सिडमार्क सेल्स सिनर्जी एलएलपी

ड़. मेरिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ञ. क्षति अवधि और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देन-वार ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए सिस्टम्स महानिदेशालय से अनुरोध किया गया था। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन-देन की उचित जांच किए जाने के बाद आवश्यक विश्लेषण करने के लिए डीजी सिस्टम्स पर भरोसा किया है।

ट. वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 (12 माह) की है। क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृतियों की जांच में वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 की अवधि और जांच की अवधि शामिल थी।

ठ. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने दिनांक 19 नवंबर 2024 को हाइब्रिड मोड में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से जांच के संबंध में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों को अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दाखिल करें, उसके बाद यदि कोई रिज्वाइंडर अनुरोध हो तो प्रस्तुत करें।

ड. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस जांच के दौरान किए गए अनुरोधों को, जहां तक ये साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए संगत पाए जाते हैं, प्राधिकारी द्वारा उन पर समुचित रूप से विचार किए गए हैं।

ढ़. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी, साथ ही उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ण. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की गोपनीयता के दावे के पर्याप्त होने के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर, जहां कहीं भी आवश्यक था, गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दाखिल की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।

त. जहां भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार कर दिया है अथवा अन्यथा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है तथा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर विचार/ टिप्पणियां दर्ज की हैं।

थ. इस अंतिम जांच परिणाम में '***' हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना को दर्शाता है तथा नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इस पर विचार किया गया है।

द. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 यू.एस. डॉलर = ₹ 83.69 है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

7. मूल जांच और वर्तमान जांच के लिए जांच शुरुआत अधिसूचना में यथापरिभाषित विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है :

"विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर है, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट है, वेट टेंसाइल मजबूती 6-12 एन/ 15 एमएम और गुरले पोरोसिटी 10-40 सेकंड/ 100 एमएल है तथा जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट फिलर रुप होते हैं" (जिसे इसके बाद

"डेकोर पेपर" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)। यह उच्च दाब (एचपीएल) अथवा कम दाब (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट के लिए आधार पेपर होता है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दाब अथवा कम दाब लेमिनेट के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर शामिल नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं, जैसे सरफेसिंग पेपर (सफ़ेद/ऑफ़-व्हाइट), लाइनर (सफ़ेद/ऑफ़-व्हाइट), बैरियर पेपर, शटरिंग बेस, ओवरले पेपर और प्रिंट बेस पेपर (रंगीन/सफ़ेद)। यह वैक्सिंग, कोटिंग और इम्प्रेगनेशन के लिए बेस पेपर; मुद्रण के लिए बेस पेपर; डेकोरेटिव इंडस्ट्री और बैरियर पेपर में प्रयोग के लिए बेस पेपर के रुप में आयातित किया जा सकता है और यह विभिन्न आकारों जैसे 95 सेमी, 96 सेमी, 102 सेमी, 123 सेमी, 123.5 सेमी, 124 सेमी, 124.5 सेमी, 125 सेमी, 131 सेमी, 132 सेमी, 183 सेमी, 184 सेमी और 185 सेमी के विभिन्न आकारों में आ सकते हैं। ।

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण 48059100 के तहत सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के अध्याय 48 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्राधिकारी ने उक्त जांच में सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण 48022090 के अंतर्गत आयात किए जा रहे विचाराधीन उत्पाद पर भी विचार किया है। दोनों सीमा शुल्क वर्गीकरणों पर वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है। तथापि, सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

ग.1 हितबद्ध पक्षकारों के विचार

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध इस प्रकार हैं :

i. घरेलू उद्योग के अनुरोधों के विपरीत, मूल जांच में पीसीएन पद्धति में प्रयुक्त मापदंडों में परिवर्तन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें सभी प्रकार के डेकोर पेपर शामिल हैं।

ii. चूंकि इसका प्रयोजन घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन न होने की स्थिति में मुद्रित डेकोर पेपर को उत्पाद के दायरे से बाहर करना था, चाहे वह पेपर उपयोग के लिए तैयार हो अथवा नहीं, यह अप्रासंगिक है।

iii. चूंकि सभी पेपर, जिनमें मुद्रित पेपर भी शामिल है, को लेमिनेशन पर उपयोग किए जाने के लिए कतिपय इम्प्रेगनेशन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, अत: "उपयोग के लिए तैयार" वाक्यांश का उपयोग एक तकनीकी अर्हता बनाता है, जिससे उत्पाद की निकासी के समय समस्याएं पैदा होती हैं।

iv. "उपयोग के लिए तैयार" वाक्यांश के उपयोग के कारण, पाटनरोधी शुल्क को सीमा शुल्क शीर्ष 4811 के तहत आयातित मुद्रित पेपर तक बढ़ा दिया गया है। शीर्ष 4811 मुद्रित पेपर के बीच अंतर नहीं करता है कि वह उपयोग के लिए तैयार है या नहीं, अत:, ऐसी अर्हता शामिल नहीं की जानी चाहिए थी।

v. हाल ही के एक आदेश में आयुक्त अपील, सीमा शुल्क - कोलकाता ने यह माना है कि सजावटी पेपर एक बार प्रिंट हो जाने के बाद, वह उपयोग के लिए तैयार है, और इस प्रकार, इसके आयातों पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगता है। तथापि, इस पहलू पर कोई नियम नहीं दिया गया है और इसे व्याख्या करने के लिए छोड़ दिया गया है।

vi. चूंकि धोखाधड़ी के मामले में एक अलग जांच का प्रावधान है, अत: धोखाधड़ी के भय से "उपयोग के लिए तैयार" वाक्यांश का उपयोग करके उत्पाद के दायरे का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

9. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के अनुरोध इस प्रकार हैं:

i. जिस उत्पाद को बाहर करने का अनुरोध किया गया है, वह मुद्रित किया गया उपयोग-के लिए-तैयार पेपर है, जिसे पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर याचिका में केवल बाहर रखे गए उत्पाद के बारे में स्पष्टीकरण दिए जाने की आवश्यकता है।

ii. विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा में परिवर्तन किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी परिवर्तन किए जाने से लागू पाटनरोधी शुल्क का उल्लंघन होने की संभावना है।

iii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, उत्पाद के दायरे को इस तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि उल्लंघन की संभावना को रोका जा सके, जैसा कि हुआवेई टेक्नोलॉजीज कंपनी लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी मामले में सीईएसटीएटी द्वारा किया गया था।

iv. मुद्रित उपयोग- के लिए-तैयार पेपर सीमा शुल्क शीर्ष 4811 के अंतर्गत आता है, जिस पर प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश नहीं की थी और जो किसी भी पाटनरोधी शुल्क को आकर्षित नहीं करता है।

v. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों के विपरीत, "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश से मुद्रित डेकोर पेपर के आयात में बाधा नहीं आ रही है, क्योंकि उत्पाद स्वयं ही एक अलग सीमा शुल्क शीर्षक के अंतर्गत आता है।

vi. मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर को पर्याप्त मात्रा में एचएस कोड 4811 के तहत आयात किया जा रहा है, जिसका तात्पर्य यह है कि अन्य पक्षकार बिना किसी चुनौती के इसे मंजूरी देने में सक्षम हैं। आवेदक आयातकों के समक्ष समस्या केवल आयात की गलत घोषणा किए जाने के कारण है।

vii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश में एचएस कोड 4811 को शामिल किए जाने के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि पाटनरोधी शुल्क यथाअधिसूचित उत्पाद के दायरे पर लागू होता है, जब उसे यथाअधिसूचित सीमा शुल्क वर्गीकरण के तहत आयात किया जाता है।

viii. चूंकि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाया गया मामला शुल्क आदेश के कार्यान्वयन के संबंध में है, अत: डीजीटीआर इसे स्पष्ट करने के लिए सही प्राधिकारी नहीं हैं। आयातकों को उनके द्वारा उठाए गए मामलों के समाधान के लिए संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

ix. यह मामला सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से संबोधित किया गया है, क्योंकि आयुक्त अपील द्वारा पहले ही यह माना जा चुका है कि एचएस कोड 4811 के अंतर्गत आयातित मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" पेपर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है।

x. आवेदक एसोसिएशन के सदस्य भी मूल जांच में हितबद्ध पक्षकार थे और प्राधिकारी ने सभी पक्षकारों को उत्पाद के दायरे पर टिप्पणी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है। तथापि, आयातकों द्वारा ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

xi. पीसीएन के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध विरोधाभासी प्रकृति के हैं। निर्यातक ने स्वयं ही यह अनुरोध किया है कि उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हो गया है, यह वेल्यू चेन में ऊपर चला गया है और उपभोक्ता वरीयता में बदलाव हो गया है। इससे पीसीएन में बदलाव करना आवश्यक हो गया है।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, विचाराधीन उत्पाद को परिभाषित करने अथवा विचाराधीन उत्पाद से बाहर करने पर एचएस कोड में परिभाषित नहीं करने पर कोई रोक नहीं है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं का उत्पादक है, जिन्हें डेकोर बेस पेपर, उच्च दाब या कम दाब लेमिनेट के लिए डेकोर पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में जाना जाता है। मूल पाटनरोधी जांच के दौरान, घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया था कि वह मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर का उत्पादन नहीं करता है और इस प्रकार, ऐसे पेपर को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था।

11. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि पाटनरोधी शुल्क केवल एचएस कोड 48022090 और 48059100 के अंतर्गत आयात किए जाने पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लगाया गया है।

12. आवेदक एसोसिएशन और उसके सदस्यों ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर स्पष्टीकरण का अनुरोध किया है। आयातकों ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग मुद्रित डेकोर पेपर का निर्माण नहीं करता है और इसे विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मुद्रित "उपयोग- के लिए-तैयार" डेकोर पेपर को पहले से ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्पाद के दायरे का विवरण बदलने के अनुरोध और उत्पाद विवरण से "उपयोग- के लिए-तैयार" शब्द हटाने के अनुरोध की नीचे विस्तार से जांच की गई है।

13. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क केवल एचएस कोड 4802 20 90 और 4805 91 00 पर लगाया गया है। मुद्रित डेकोर पेपर उक्त एचएस कोड में नहीं आता है, बल्कि शीर्ष 4811 के अंतर्गत आता है। प्राधिकारी ने उक्त शीर्षक के अंतर्गत आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश नहीं की है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में भी ऐसे शीर्ष पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया है।

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उत्पाद विवरण महत्वपूर्ण है कि व्यापार उपचारी कार्रवाई के प्रयोजन को प्रभावी ढंग से पूरा किया जाए, लेकिन इसका ऐसे अन्य उत्पादों पर कोई अनपेक्षित परिणाम न हो, जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा अस्पष्ट नहीं होना चाहिए कि यह परिभाषा की व्याख्या के अधीन हो जाए और उन उत्पादों के आयातकों पर अनुचित बोझ पड़े, जो पाटनरोधी शुल्क के अधीन नहीं हैं। यह निर्विवाद है कि घरेलू उद्योग मुद्रित डेकोर पेपर के आयातों से व्यथित नहीं है। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह विचाराधीन उत्पाद के समान अथवा अदला-बदली करने योग्य उत्पाद है। घरेलू उद्योग ने इस बात का कोई औचित्य नहीं दिया है कि "उपयोग-

के लिए-तैयार" वाक्यांश क्यों आवश्यक है। वाक्यांश की व्याख्या व्यक्तिपरक तरीके से की जा सकती है और उसमें बहिष्करण की उपयुक्तता से कोई मूल्यवर्धन नहीं होता है। चूंकि विचाराधीन उत्पाद के दायरे का निर्धारण एक महत्वपूर्ण आधार है जिस पर पाटनरोधी कार्यवाही शुरू की जाती है और पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है, अत: प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि प्राधिकारी के लिए इस पर स्पष्टीकरण प्रदान करना आवश्यक है।

15. अत: इक्विटी के हित में, प्राधिकारी यह स्पष्ट करना उचित समझते हैं कि शीर्ष 4811 के तहत मुद्रित डेकोर पेपर के आयातों को पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए विचाराधीन उत्पाद के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। अत: प्राधिकारी "उपयोग- के लिए-तैयार" वाक्यांश को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से हटाते हैं। निम्नलिखित परिभाषा लागू होगी।

"विचाराधीन उत्पाद "40-130 जीएसएम के रील रूप में अनकोटेड पेपर है, जिसकी क्लेम अवशोषण क्षमता कम से कम 12 एमएम प्रति 10 मिनट है, वेट टेंसाइल मजबूती 6-12 एन/ 15 एमएम और गुरले पोरोसिटी 10-40 सेकंड/ 100 एमएल है तथा जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या पिगमेंट फिलर रुप होते हैं" (जिसे इसके बाद "डेकोर पेपर" अथवा "संबद्ध वस्तु" भी कहा गया है)। यह उच्च दाब (एचपीएल) अथवा कम दाब (एलपीएल) डेकोरेटिव लेमिनेट के लिए आधार पेपर होता है, जिसे डेकोरेटिव बेस पेपर, उच्च दाब अथवा कम दाब लेमिनेट के लिए डेकोरेटिव पेपर, कोटिंग बेस पेपर और प्रिंट बेस पेपर के रूप में भी जाना जाता है, परंतु इसमें 4811 शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है।."

16. पीसीएन में परिवर्तन के संबंध में, प्राधिकारी को वर्तमान जांच के लिए घरेलू उद्योग सहित किसी भी हितबद्ध पक्षकार से दी गई समय सीमा के भीतर टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं। अत: मूल जांच में अपनाई गई पीसीएन पद्धति पर वर्तमान मध्यावधि समीक्षा के लिए विचार किया गया है।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और आधार</u>

घ.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

17. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में आवेदकों अथवा अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई अनुरोध नहीं किया गया है।

घ.2 घरेलू उद्योग के विचार

18. घरेलू उद्योग के दायरे और आधार के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध इस प्रकार हैं :

    i. भारत में संबद्ध वस्तुओं के तीन उत्पादक हैं, अर्थात् आईटीसी लिमिटेड, पुदुमजी पेपर प्रोडक्ट्स और श्री कृष्णा पेपर्स।

    ii. आईटीसी लिमिटेड के पास भारतीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और यह घरेलू उद्योग में शामिल है।

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

19. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग इस प्रकार है:

"(ख) "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का भाग नहीं समझा जाएगा।"

20. प्राधिकारी का यह निष्कर्ष हैं कि आईटीसी लिमिटेड के पास भारत में घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा है और इसका भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा आयातक के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा, आईटीसी लिमिटेड ने जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है। इस प्रकार, आईटीसी लिमिटेड पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत परिभाषित घरेलू उद्योग में आता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार

21. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किए हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग के विचार

22. घरेलू उद्योग ने अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं।

i. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर किए गए प्रश्नावली उत्तर में पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 के विभिन्न उल्लंघन किए गए हैं।

ii. निर्यातकों/ उत्पादकों ने औचित्य प्रदान किए बिना उनके द्वारा बेचे गए उत्पादों के नामों को गोपनीय बताया है। किंगडेकोर ने तो अपने ब्रॉशर को भी गोपनीय बताया है।

iii. विनबॉन ने भारत को निर्यात किए गए उत्पाद प्रकार (पीसीएन), उत्पादन सुविधाओं, संबद्धताओं और शेयरधारक सूचनाओं को प्रकट नहीं किया है।

iv. हुआवांग और सिडमार्क ने वितरण के चैनल को पूरी तरह से गोपनीय बताया है।

v. उत्पादकों/ निर्यातकों ने परिशिष्ट-1 को पूरी तरह से गोपनीय बताया है।

vi. विनबॉन, हुआवांग और चांगल उचित तुलना के लिए समायोजन के रूप में दावा किए गए व्ययों की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति प्रदान करने में विफल रहे हैं।

vii. किंगडेकोर, चांगल, शेडोंग और जिबो ने कंपनी संबद्धताओं और शेयरधारकों के बारे में सभी सूचनाओं को गोपनीय बताया है।

viii. चांगले, शेडोंग और जीबो ने उत्पादन प्रक्रिया को गोपनीय बताया है।

ix. किंगडेकोर ने प्रयुक्त कच्ची सामग्री की सूची को गोपनीय बताया है।

x. किंगडेकोर ने उत्तर में दी गई समग्र सूचना को गोपनीय बताया है, जिसके कारण घरेलू उद्योग प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति को भी समझने में असमर्थ है।

ड.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

23. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न पक्षकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का अगोपनीय पाठ अन्य सभी हितबद्ध पद्वाकारों को उपलब्ध कराया।

24. सूचना की गोपनीयता के संबंध में, पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में निम्नलिखित प्रावधान है :

"गोपनीय सूचना - (1) नियम 6 के उप नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप नियम (2), नियम 14 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत

किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।"

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदान की गई सूचना की ऐसे दावों की पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर गोपनीयता के दावों को जहां भी आवश्यक हुआ स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहाँ भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय पाठ प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

च. <u>वर्तमान मध्यावधिक समीक्षा का दायरा</u>

च.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार</u>

26. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने मध्यावधि समीक्षा के दायरे के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. व्यापक समीक्षा की शुरुआत उचित है क्योंकि (क) मार्जिन के पुनः निर्धारण के लिए उल्लिखित किए गए मामले सभी उत्पादकों पर लागू होते हैं, (ख) शुल्क काफी समय से लागू है और (ग) घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार आया है। हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड बनाम गुलशन लाल मामले में दिया गया निर्णय लागू नहीं होता है क्योंकि शुल्क को निरंतर लागू किए जाने की आवश्यकता की समीक्षा करना प्राधिकारी का दायित्व है। घरेलू उद्योग के अधिकार प्रभावित नहीं हुए हैं क्योंकि प्राधिकारी के पास संशोधित शुल्क को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प है।

ii. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद से मूल कच्ची सामग्री और उत्पादन के अन्य कारकों की लागत और कीमत में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। इससे उत्पाद मिश्रण में बदलाव आया है।

iii. प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पाटनरोधी शुल्क किसी भी समय पाटन और क्षति के मार्जिन से अधिक न हो। स्थायी प्रकृति के परिवर्तनों की आवश्यकता केवल शुल्क के निरसन के मामलों में लागू होती है, न कि शुल्क की मात्रा के पुनः निर्धारण के लिए लागू होती है।

iv. लुगदी की लागत में 20-30% तक की वृद्धि हुई है और अन्य प्रमुख इनपुट जैसे टाइटेनियम, काओलिन, ऊर्जा और श्रम की लागत में वृद्धि हुई है, जिससे शुल्क लगाए जाने के बाद, संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत में करीब 15-30% तक की वृद्धि हुई है।

v. आईटीसी सहित वैश्विक बाजार में बुनियादी कच्ची सामग्री और अन्य इनपुट की लागत और कीमत में काफी वृद्धि हुई है। ये प्रवृति स्थायी प्रकृति की है और इसके जारी रहने की संभावना है।

vi. उच्च कीमत और गुणवत्ता वाले उत्पादों के संबंध में आयातों में बदलाव आया है, जो उपभोक्ता वरीयता में बदलाव को दर्शाता है, जो एक स्थायी प्रकृति का है।

vii. प्राधिकारी को पूर्ण मध्यावधि समीक्षा आरंभ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आवेदकों और घरेलू उद्योग ने चीन से सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए मार्जिन का पुनर्निर्धारण करने का अनुरोध नहीं किया है।

viii. नियम 23 के अनुसार, पाटनरोधी जांच के अनुसरण में पाटनरोधी शुल्क नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्राधिकारी आवेदकों के दावों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। चूंकि किसी भी आवेदक ने पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध नहीं किया है, अत: लागू शुल्कों को बढ़ाने की कोई संभावना नहीं है।

ix. वर्तमान जांच में शुल्क को या तो बनाए रखा जाना चाहिए या कम किया जाना चाहिए, लेकिन इसे बढ़ाया नहीं जा सकता है। घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी शुल्क बढ़ाने का अनुरोध भी नहीं किया है।

x. चांगल ने जांच की मूल अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात नहीं किया है और वर्तमान जांच में दाखिल किए गए उत्तरों के आधार पर उसे व्यक्तिगत शुल्क दिया जाना चाहिए।

xi. किंगडेकोर ने वर्तमान जांच में पूर्ण उत्तर दाखिल किया है और उसे प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर व्यक्तिगत मार्जिन दिया जाना चाहिए।

xii. विंबोनटेक्नोसेल एक नया उत्पादक है और भारत सहित सभी देशों को केवल उच्च-स्तर के उत्पादों का निर्यात अपाटित कीमतों पर करता है।

xiii. उत्पाद मिश्रण और संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमतों में परिवर्तन के कारण, हांग्जो हुआवांग पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा पुनः निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

च.2. <u>घरेलू उद्योग के विचार</u>

27. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:-

i. चूंकि वर्तमान जांच का दायरा, दायर किए गए आवेदन और आवेदकों द्वारा मांगी गई राहत से बहुत बड़ा है, वर्तमान मध्यवर्ती समीक्षा को समाप्त किया जाना चाहिए।

ii. चूंकि वर्तमान समीक्षा स्वत: प्रेरणा समीक्षा नहीं है और निर्यातकों और आयातकों द्वारा दायर आवेदन के आधार पर आरंभ की गई है, वर्तमान जांच के दायरे को मांगी गई राहत तक सीमित रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्तमान जांच में स्वत:प्रेरणा समीक्षा का औचित्य सिद्ध करने के लिए कोई आधार अथवा कारक नहीं हैं।

iii. आवेदकों द्वारा कोई सकारात्मक साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया था जो व्यापक समीक्षा की शुरुआत को न्यायसंगत सिद्ध कर सके।

iv. निर्यातक ने यह स्थापित नहीं किया है कि बताए गए परिवर्तन किसी समीक्षा का औचित्यसिद्ध कर सकते हैं, विशेषकर क्योंकि पाटन मार्जिन पहचाने गए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित नहीं हुआ है।

v. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों के विपरीत, यह बताने के लिए कोई साक्ष्य अथवा न्यायशास्त्र नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क को समय के किसी भी बिंदु पर पाटन मार्जिन या क्षति मार्जिन से अधिक नहीं होना चाहिए। यूएसए के अलावा, किसी भी जांचकर्ता प्राधिकारी ने, यह सुनिश्चित करने केलिए पाटनरोधी शुल्ककी पुनरावृत्ति समीक्षा आयोजित नहीं की है कि मात्रा वर्तमान पाटन से अधिक नहीं है।

vi. मार्जिन के पुर्नपरिमाणीकरण के लिए निर्यातकों द्वारा पहचाने गए कारकों को स्थायी प्रकृति का परिवर्तन नहीं माना जा सकता है जिससे शुल्क का पुनः परिमाणीकरण आवश्यक हो जाता है।

vii. कच्चे माल की लागत में उतार-चढ़ाव एक नियमित व्यावसाय परिदृश्य है, क्योंकि पल्प की कीमतों में वैश्विक स्तर पर उतार-चढ़ाव होने की प्रवृत्ति है। वास्तव में, पल्प की कीमतों में जांच की अवधि के पश्चात गिरावट आई है। ऐसे परिवर्तन को स्थायी प्रकृति का नहीं माना जा सकता है।

viii. ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि पाटनरोधी शुल्क के पुन: प्रमाणीकरण की मांग करने वाले उच्च कीमत वाले उत्पाद के प्रति भारत मेंउपभोक्ता की प्राथमिकता में परिवर्तन आया है।

ix. उत्पाद मिश्र में परिवर्तन और ऊंचीकीमत वाले उत्पाद के निर्यातों में वृद्धि शुल्क के मिश्रित रूप का परिणाम है जो कम कीमत वाले उत्पादकों को अलाभकारी बनाते हैं। इसे शुल्क के पुन: प्रमाणीकरण के लिए आधार नहीं माना जा सकता।

x. संबद्ध वस्तुओं की लागत और कीमत शुल्क के पुन: प्रमाणीकरण के लिए आधार नहीं हो सकती क्योंकि ऐसी कीमत गैर-क्षति रहित कीमत, पहुंच कीमत, निर्मित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत में वृद्धि को सूचित करती है और परिणाम स्वरूप शुल्क की मात्रा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

xi. उत्पाद मिश्र में परिवर्तन और लागत में और संबद्ध वस्तुओं की लागत में परिवर्तन के लिए एक मध्यवर्ती समीक्षा आयोजित करने से समीक्षाओं का कभी न खत्म होने वाला चक्र शुरु हो जाएगा।

xii. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के विपरीत, नियम-23 प्राधिकारी को शुल्कों के पुन: परिमाणन की अनुमति देता है। प्राधिकारी ने पिछली जांचों में पाटनरोधी शुल्कों में वृद्धि की है तब भी जबकि शुल्कों को समाप्त करने के लिएआवेदन दायर किया गया था।

xiii. निम्न पाटन मार्जिन को प्राप्त करने के लिए आवेदक निर्यातक द्वारा कीमतों में हेरफेर करने की संभावना है। ऐसे निर्यातक द्वारा निर्यातों की मात्रा भारत में मांग की तुलना में काफी कम है और भारत में एकमात्र बिक्री एजेन्ट को बिक्रियां की गई है। इस बात की संभावना है कि निर्यातक और आयातक द्वारा अल्पावधि के लिए उत्पाद की कीमतों को अधिक रखने के लिए मिली-भगत की गई है।

xiv. आवेदक निर्यातक ने आवेदक निर्यातक की कीमतों से काफी कम कीमत पर अन्य आयातकों को कम मात्रा में बिक्री की है। इस कारण आवेदक उत्पादक और आवेदक आयातक के बीच वास्तविक लेन-देन पर संदेह उत्पन्न होता है।

xv. यदि प्राधिकारी एक व्यापक समीक्षा जारी रखते हैं, तो शुल्कों को और पांच वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने की सिफारिश की जानी चाहिए। यह प्रचालन पद्धतियों की आचार संहित के अनुरूप है।

xvi. अन्य उत्पादकों से आयातों की मात्रा की तुलना में चांगल से आयातों की मात्रा को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। यदि ऐसी मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है तो यह निम्नतर मार्जिन प्राप्त करने के लिए कीमतों में हेरफेर की गुंजाइश छोड़ता है।

xvii. नई शिपर समीक्षा की जरूरतों को वर्तमान जांच में उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे उत्पादकों द्वारा किए गए निर्यात, जिन्होंने जांच की मूल अवधि में निर्यात नहीं किए थे, पृथक मार्जिन प्रदान करने के लिए वाणिज्यिक मात्राओं में होने चाहिए।

xviii. पृथक पाटनरोधी शुल्क प्रदान करने के लिए निर्यातक का उत्पाद प्रोफाइल और विभिन्न उत्पाद प्रकारों के निर्यातों की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए।

xix. किंगडेकोर के संबंधित पक्षकार, जो कि विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक हैं, ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है।

xx. जहां किंगडेकोर ने दावा किया है कि संबंधित पक्षकार ने भ्रामक घोषणा प्रस्तुत की है क्योंकि इसकी संबंधित पक्षकार पार्टी ने जांच की अवधि के दौरान और जांच की अवधि के पश्चात भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है। ऐसे माल को किंगडेकोर के लिए प्रयोज्य पाटनरोधी शुल्क के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है, हालांकि ऐसी वस्तु का उनके द्वारा विनिर्माण नहीं किया गया था।

xxi. जबकि किंगडेकोर ने यह दावा किया है कि संबंधित पक्षकार झियांहे संबद्ध वस्तु का विनिर्माता नहीं है, न ही सीमा शुल्क आयुक्त के निर्णय से यह साक्ष्य है कि झियांगहे विचाराधीन उत्पाद का एक उत्पादक है।

xxii. किंगडेकोर को दिए गए पृथक शुल्क वापस लिए जाने चाहिए क्योंकि इसने मूल पाटनरोधी जांच में आवश्यक सूचना को छिपाया है और भ्रामक जानकारी उपलब्ध कराई है।

xxiii. विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमतों में परिवर्तन पाटन मार्जिन में परिवर्तन का कारण नहीं हो सकता क्योंकि यह निर्यात कीमत, निर्मित सामान्य मूल्य, पहुंच कीमत और क्षति रहित कीमत को प्रभावित करता है।

च.3. <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

28. प्राधिकारी नोट करते हैं कि मध्यवर्ती समीक्षा का दायरा मूल जांच और निर्याणक समीक्षा से भिन्न है। एक मध्यवर्ती समीक्षा में प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क के लगातार जारी रहने की आवश्यकता को, जहां जरूरत हो, वहां स्वयं की पहल पर किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा अनुरोध किए जाने पर, जांच और निर्धारित किए जाने की

जरूरत है, जिसने निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को लागू किए जाने के बाद से समय की उचित अवधि के समाप्त होने के पश्चात, ऐसीसमीक्षा की जरूरत की पुष्टि करते हुए नकारात्मक सूचना प्रस्तुत की है। इसके अतिरिक्त, निर्दिष्ट प्राधिकरी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की जरूरत है कि क्या घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना है, यदि प्रदत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है या उसमें विभिन्नता पाई जाती है। यदि प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पाटनरोधी शुल्क की अब कोई आवश्यकता नहीं हैतो ये केन्द्रीय सरकार को इसे वापिस लेने की सिफारिश करेंगे।

29. प्राधिकारी ने पहले चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 4,4 डायमिनों स्टिलसीन 2,2 डायसल्फोरिक एसिड (डीएएसडीए) में एक मध्यवर्ती समीक्षा के दायरे के संबंध में निम्नानुसार नोट किया है:

> *"निर्णायक समीक्षा और मध्यवर्ती समीक्षा के संबंध में नियमावली की भाषा को जानबूझकर भिन्न रखा गया है ताकि शुल्क को समाप्त किए जाने की जरूरत को स्थापित करने की सावधानी पर अधिक जोर दिया जा सके। एडी नियमावली के नियम 23(क) में नहीं" शब्द" पर जोर संभवत: पाटनरोधी शुल्क को समय से पूर्व समाप्त किए जाने की जांच करते समय एक उच्चतर और कठोर बाध्यता को सूचित करता है।"*

30. प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान पुनरीक्षा आवेदक निर्यातक/आयातक द्वारा परिस्थितियों में परिवर्तन के आरोप पर आधारित है। आवेदक ने आरोप लगाया हैकि भारत को निर्यात किए जा रहे उत्पाद मिश्र में परिवर्तन किया गया है और संबद्ध वस्तु की कीमत में परिवर्तन है जो शुल्कोंके पुनर्माणीकरण का औचित्य सिद्ध करता है। आवेदक निर्यातक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया हैकि चिन्हित किए गए पैरामीटर असाधारण हैं और केवल उक्त निर्यातक के लिए प्रयोज्य हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि पहचाने गए पैरामीटर्स संबद्ध देश में सभी निर्यातकों के लिए प्रयोज्य हैं और केवल आवेदक निर्यातक के लिए ही सीमित नहीं हैं, प्राधिकारी ने एक व्यापक समीक्षा आरंभ की थी।

31. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत के समय, आवेदक निर्यातक/आयातक ने आधारभूत कच्चेमाल अर्थात पल्प की कीमत तथा साथ ही टाइटेनियम डाइऑक्साइड तथा काओलिन सहित दूसरे अन्य इनपुटों की कीमत में वृद्धि के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। आवेदक निर्यातक/आयातक ने अनुरोध किया है कि कच्चे माल और इनपुट की लागत में वृद्धि के कारण विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग केपास इसका स्वयं का पल्प है और इस प्रकार आवेदक की उत्पादन की लागत में पाटनरोधी शुल्ककी मात्रा को पुन: निर्धारित करने की आवश्यकता के कारण इसमें वृद्धि नहीं हुई। *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, प्राधिकारी ने मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत की। इसके अलावा, विवाद की प्रकृत्ति के आधार पर प्राधिकारी ने एक व्यापक समीक्षा की शुरुआत करना उचित समझा।

32. प्राधिकारी ने वर्तमान मध्यवर्ती समीक्षा में किए गए सभी अनुरोधों पर विचार किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने अपना वित्तीय और लागत संबंधी डेटा प्रस्तुत किया है जिसे नीचे दी गई सारणी के अनुसार दर्शाया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैंकि जांच शुरुआत के समय किया गया यह अनुरोध कि कच्चे माल की लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग पर लागू नहीं होती, तथ्यात्मक रूप से गलत है:-

क्र. सं.	कच्चा माल	कीमत		अंतर	
		मूल जांच	वर्तमान जांच		
		₹/एमटी	₹/एमटी	₹/एमटी	%
1	पल्प-आयात	***	***	***	***
2	पल्प कैप्टिव	***	***	***	***
3	रसायन	***	***	***	***
4	ब्रोक	***	***	(***)	(***)
5	कुल आरएम लागत			***	22%

33. प्राधिकारी ने आगे नोट किया है कि घरेलू उद्योग के लिए कच्चे माल की कुल लागत में भी जांच की मूल अवधि की तुलना में जांच की वर्तमान अवधि में वृद्धि हुई है। अत:, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के कारण घरेलू उद्योग पर भी प्रभाव पड़ा है।

34 इन अनुरोधों के संबंध में कि भारत को निर्यात कीमत में वृद्धि हुई है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारांशित औसत पहुंच कीमत में हुई वृद्धि घरेलू उद्योग के कच्चे माल की भारांशित औसत कीमत में हुई वृद्धि की तुलना में कम है। जहां कच्चे माल की भारांशित औसत लागत में 23% वृद्धि हुई है वहीं चीन से हुए भारांशित औसत पहुंच कीमत में 22% की वृद्धि हुई है।

पीसीएन कोड	डीजी सिस्टम के अनुसार मात्रा	कच्चे माल की कीमत			
		मूल जांच	वर्तमान जांच	इनमें अंतर	इनमें अंतर
	एमटी	₹/एमटी	₹/एमटी	₹/एमटी	%
1सी1	53	***	***	***	***
1सी2	52	***	***	***	***
1यू2	0	***	***	***	***
2 सी 1	699	***	***	***	***
2सी2	12,341	***	***	***	***
2यू1	14,328	***	***	***	***
2यू2	10,128	***	***	***	***
3सी1	4,050	***	***	***	***
3सी2	400	***	***	***	***
3यू1	11,462	***	***	***	***
3यू2	2,799	***	***	***	***
अंतर*				***	23%

**भारांशित औसत*

विवरण	यूओएम	मूल्य
भारांशित औसत पहुंच कीमत	₹/एमटी	128,817
वर्तमान पीओआई में भारांशित पहुंच कीमत	₹/एमटी	158,055
आवेदक निर्यातक के लिए पहुंच कीमत में वृद्धि	₹/एमटी	***
आयातों की भारांशित औसत पहुंच कीमत में वृद्धि	₹/एमटी	29,238
लैंडेड मूल्य में भारित औसत वृद्धि	%	22.69

35. इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आयातक निर्यातक की पहुंच कीमत में हुई वृद्धि चीन जन.गण. की पहुंच कीमत में हुई वृद्धि से भी कम है।

पीसीसएन कोड	हांगझोऊ हुआवांग न्यू मेटीरियल टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड				
	मूल जांच		वर्तमान जांच		वर्तमान और मूल में अंतर
	मात्रा	पहुंच कीमत	मात्रा	पहुंच कीमत	

	एमटी	₹/ एमटी	₹/ एमटी	₹/ एमटी	₹/ एमटी
1सी1	***	***	***	***	***
1सी2	***	***	***	***	***
1यू2	***	***	***	***	***
2सी1	***	***	***	***	***
2सी2	***	***	***	***	***
2यू1	***	***	***	***	***
2यू2	***	***	***	***	***
3सी1	***	***	***	***	***
3सी2	***	***	***	***	***
3यू1	***	***	***	***	***
3यू2	***	***	***	***	***
कुल (भारांशित औसत)	***	***	***	***	***

36. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि जहां आवेदक निर्यातक ने इस तथ्यपर विश्वास किया है कि घरेलू उद्योग के पास कैप्टिव पल्प खपत है जिस कारण इसने उत्पादन की लागत में वृद्धि का सामना नहीं किया है। सूचना के सत्यापन के पश्चात, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग ने कैप्टिव रूप से उत्पादित पल्प का केवल 10-20% प्रयोग किया है और जांच की अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए 80-90% पल्प का आयात किया है। इस प्रकार, घरेलू उद्योग पल्प की कीमत में वृद्धि के कारण भी प्रभावित हुआ है।

37. अत:, प्राधिकारी यह निर्णय देते हैं कि भारत में निर्यात कीमतों में जिस आधार पर वृद्धि हुई है, वह पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के पुननिर्धारण की जरूरत को निर्धारित नहीं करता। यह देखा गया है कि कच्चेमाल की कीमतों में वृद्धि के कारण उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हुई है। यह भी नोट किया गया है कि आवेदकों या अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे किसी कारक की पहचान नहीं की है जिसने एकतरफा रूप से सामान्य मूल्य को प्रभावित किए बिना केवल निर्यात कीमत में परिवर्तन किया है। इसलिए, इससे यह स्थापित नहीं किया होता कि मूल जांच की पीओआई की तुलना में परिस्थितियों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा, यह स्थापित नहीं किया गया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी स्वरूप केहैं। इसलिए, आवेदक निर्यातक के लिए मार्जिन को पुन: निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं है।

38. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि सिर्फ विचाराधीन उत्पाद की लागत और कीमत में परिवर्तन को उपायों के संशोधन की मांग करते हुए परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जा सकता। लागत और कीमत में बाजार स्थिति के आधार पर परिवर्तन हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या परिवर्तन स्थायीप्रकृति के हैं, इसलिए उपायों में संशोधन की आवश्यकता है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं किरिकॉर्ड पर उपलब्ध डेटा के अनुसार, पल्प की कीमतों मेंजांच की अवधि में वृद्धि हुई है, किन्तु उसके बाद पीओआई के पश्चात् उसमें गिरावट आई है। इसलिए, उत्पाद का स्वरूप इस प्रकार का है कि कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव होता रहता है।

39. प्राधिकारी ने, यहां ऊपर किए गए विश्लेषण के आधार पर पाया है कि मध्यवर्ती समीक्षा की शुरुआत के लिए यह आधार कि घरेलू उद्योग की लागत में अनुरूपी वृद्धि के बिना उत्पादन की लागत औरनिर्यात कीमत में वृद्धि हुई है, को स्थापित नहीं किया गया है।

40. आवेदक निर्यातक/निर्यातक ने भी आरोप लगाया है कि उत्पाद-मिश्र में परिवर्तन हुआ है जिसमें मार्जिन के पुनर्निर्धारण की जरूरत है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मूल पाटनरोधी जांच में, प्राधिकारी ने पीसीएन का निर्माण किया है। प्राधिकारी ने मूल जांच में बेचे गए पीसीएन का विश्लेषण किया है और वर्तमान जांच से इसकी तुलना की गई है। यह नोट किया गया है कि मूल जांच में आयातित किए गए पीसीएन का वर्तमान जांच में भी आयात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, पीसीएन जो मात्रा में उल्लेखनीय थे, वर्तमान अवधि में भी महत्वपूर्ण मात्रा में बने रहेंगे। इस प्रकार, निर्यात के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तथा उपायों के संशोधन के पुन:निर्धारण के औचित्यको सिद्ध करता है। जांच यह दर्शाती है कि आवेदन में दिया गया यह आधार कि उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हुआ है, जिसकी पहचान उस समय की गई थी, आरंभ नहीं किया गया है।

पीसीएन कोड	आयात मात्रा	
	मूल जांच के अनुसार	वर्तमान जांच के अनुसार
	एमटी	एमटी
1सी1	-	53
1सी2	326	52
1यू2	-	-
2सी1	1,107	699
2सी2	10,091	12,341
2यू1	4,278	14,328

2यू2	2,378	10,128
3सी1	2,634	4,050
3सी2	372	400
3यू1	2,902	11,462
3यू2	401	2,799

41. प्राधिकरी निर्णय देते हैं कि आवेदक को इस सीमा तक परिस्थितियों में परिवर्तन स्थापित किए जाने की जरूरत है कि आधार जिस पर शुल्क को लागू किया गया था, में उल्लेखनीय रूप से इतना परिवर्तन हो गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है यदि प्रवृत्त पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है या उनमें विभिन्नता लाई जाती है। वर्तमान जांच में सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना और सकारात्मक साक्ष्य के आधार पर वर्तमान जांच की अवधि के दौरान स्थापित किए गए तथ्यों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह निष्कर्ष देते हैं कि परिस्थितियों में परिवर्तन के रूप में पहचाने गए आधार विद्यमान नहीं हैं। जांच यह दर्शाती है कि हितबद्ध पक्षकारों ने यह नहीं स्थापित किया कि घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है, यदि विद्यमान पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किया जाता है या उसमें भिन्नता लाई जाती है। यह स्थापित नहीं किया गया है कि एडीडी की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

42. प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने यह अनुरोध किया है कि किंगडेकोर जियानहे कं. लिमिटेड एवं संबंधित हस्ती द्वारा विनिर्मित वस्तुओं की लगातार आपूर्ति करता रहा है, जबकि जियानहे को सिर्फ एक व्यापारी के रूप में गलत रूप से प्रस्तुत किया गया। किंगडेकोर ने संबद्ध वस्तुओं पर लागू पाटनरोधी शुल्क से बचने के लिए इन वस्तुओं को अपने उत्पाद के रूप में घोषित किया। यह अवलोकन किया गया है कि किंगडेकोर ने एक कारखाने सं. 158, टोंगजियांग रोड, शेजिया डेवलपमेंट जोन, क्यूझोऊ सिटी, झेजियांग 32422, चीन में उत्पादित माल का भी निर्यात किया है। तथापि, इसे मूल जांच और साथ ही एमटीआर जांच, दोनों में, किंगडेकोर द्वारा विनिर्माण/उत्पादन इकाई के रूप में कभी भी रिपोर्ट नहीं किया गया।

43. उन दोनों संयंत्रों की जांच किए जाने पर, निर्यातक ने अनुरोध किया है कि इसकी पहली उत्पादन श्रृंखला की श्रृंखला सं. 13 की वर्ष 2006 में सं. 158, टोंगजियांग रोड, शेंजिया इकोनोमिक डेवलपमेंट जोन, क्यूझोऊ सिटी, झेजियांग प्रोविंस के रूप में पहचान की गई थी। वर्ष अक्तूबर, 2011 में कंपनी ने अपने परिचालनों को वर्तमान अधिकारिक/पंजीकृत पते सं. 20, साउथ तियानहू रोड, क्यूझोऊ सिटी, झेजियांग प्रोविंस पर विस्तारित किया है। किंगडेकोरने यह भी कहा है कि इसके व्यापार लाइसेंस में

केवल एक अधिकारिक/पंजीकृत पता शामिल है - संख्या 20, साउथ तियानहू रोड। इस आधार पर, किंगडेकोर ने यह दावा किया है कि इसने ईक्यूआर को दायर करते समय केवल अधिकारिक पते को रिपोर्ट किया है। इसके अलावा, निर्यातक ने स्वीकार किया है कि पीओआई के दौरान इसने दोनों संयंत्रों से उत्पादित पीयूसी का निर्यात किया है।

44. तथापि, निर्यातक प्रश्नावली उत्तर की अनिवार्यताओं से यह साक्ष्य है कि ऐसा प्रकटीकरण अपर्याप्त है और तथ्यों को महत्वपूर्ण रूप से दबाने के समान है। ईक्यूआर के सामान्य भाग के बिन्दु 3 और 4 को संदर्भ के लिए नीचे दोबारा प्रस्तुत किया गया है:-

> *"3. आपके मुख्य कारपोरेट ऑफिस और भारत में आपके कार्यालय आदि कोई हो, का पूर्ण पता दें। उनके टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पता उपलब्ध कराएं। प्रधान संपर्क व्यक्ति (अथवा पाटनरोधी कार्यवाहियों के प्रयोजनार्थ भारत में अथवा वहीं अन्य स्थान पर प्रतिनिधि/कानूनी प्रतिनिधि) का नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स नंबर और ई-मेल पता बताएं।*
>
> *4. पूरे पते, टेलीफोन और फैक्स नंबर और ई-मेल पते के साथ जांचाधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल कारखानों की सूची।"*

45. ये अनिवार्यताएं स्पष्ट रूप से इसे जरूरी बनाती हैं कि निर्यातकों न केवल कारपोरेट आफिस के पते को प्रकट करना होगा बल्कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में शामिल सभी कारखानों का पूरा विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। विनिर्माण सुविधाओं से संबंधित सारी सूचना बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि प्राधिकारी को जांचाधीन कंपनी द्वारा माल के उत्पादन और बिक्री संबंधी पूरी जानकारी को जानने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त, ईक्यूआर के परिशिष्ट 7 में पीयूसी का उत्पादन करने वाले प्रत्येकसंयंत्र/यूनिट केलिए पृथक रूप से रिपोर्ट किए जाने वाली व्यय और लागत संबंधीसूचना को दिया जाना अपेक्षित है। यह मुद्दा किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी की प्रामाणिकता के बारे में गंभीर शंका उठाता है।

46. प्राधिकारी यह भी नोटकरते हैं कि किंगडेकोर अपने उत्पादों की मार्केटिंग में शामिल एक भारतीय हस्ती शाह इंटरनेशनल सर्विसेज के साथ अपने व्यापार संबंधी रिश्तों को प्रकट करने में असफल रहा है। प्रश्न किए जाने पर, किंग डेकोर ने निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए व्यापार संबंधों को स्वीकार किया है:

> *"जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, किंग डेकोर का भारतीय बाजार में केवल एक असंबंधित इंडेटिंग एजेंट अर्थात शाह इंटरनेशनल सर्विसेज*

है। भारतीय क्रयकर्ताओं की जरूरत के अनुसार, शाह किंगडेकोर को आदेश जारी करता है और भारतीय क्रयकर्ताओं को किंगडेकोर द्वारा माल की आपूर्ति के बाद, यह माल के बिक्री मूल्य पर @2% की दर से कमीशन प्राप्त करता है।

कंपनी द्वारा वर्तमान एमटीआर जांच में तथा साथ ही मूल जांच के पीओआई के दौरान अदा कीगई छूट (यदि कोई हो) सहित कमीशन को विधिवत समग्र रूप में पीयूसी तथा गैर-पीयूसी, जहां प्रयोज्य हो, कंपनी के लिए "बिक्रियों पर कमीशन" शीर्षक के रूप में शीर्ष "प्रत्यक्ष बिक्री व्ययो" के तहत किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत ईक्यूआर के परिशिष्ट 7 में रिपोर्ट किया गया है, चूंकि परिशिष्ट 3क सहित किसी अन्य परिशिष्ट में इसे दायर करने से संबंधित कोई निदेश नहीं विद्यमान है।"

47. इसके अतिरिक्त, किंगडेकोर द्वारा उपलब्ध कराए गए करार की प्रति के अनुसार, भारत में वाणिज्यिक प्रतिनिधि के रूप में परवर्ती को नियोजित करते हुएशाह इंटरनेशनल सर्विसेज के साथ एक लिखित करार (दिनांक 1 जनवरी, 2019) किया गया है। करार 1 जनवरी 2019 से प्रभावी है और एक अनिश्चित अवधि के लिए बातचीत की गई। तथापि, किंगडेकोर इस महत्वपूर्ण व्यापार संबंध की रिपोर्ट करने और कारखानागत निर्यात मूल्य निर्धारित करने के लिए भुगतान किए गए कमीशन के समायोजन की रिपोर्ट करने में विफल रहा जो महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने का मामला है।

48. 11 अक्तूबर, 2024 को, प्राधिकारी ने उत्तर को प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 की अंतिम समय सीमाको निर्धारित करने के लिए, संबंधित निर्यातकों को दो पूरक प्रश्नावलियां भी जारी की। किंगडोकोर ने दिनांक 25 अक्तूबर, 2024 तक अर्थात सात (7) दिनों के विस्तार की मांग करते हुए एक अनुरोध प्रस्तुत किया। तथापि, उक्त प्रश्नावली के संबंध में आज की तारीख तक किंगडेकोर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया गया है। पूरक प्रश्नावली में पाटन मार्जिन और क्षति माजिन के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण सूचना अन्तर्निहित है।

49. किंगडेकोर प्रस्तुत की गई सूचना की यर्थाथता को प्रमाणित करने के लिए अपनी सूचनाओं को सत्यापित कराने में भी असफल रहा है। प्राधिकारी ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2024 की ईमेल केअनुसार किंगडेकोर को 25 अक्तूबर, 2024 तक अपेक्षित

सत्यापन संबंधी दस्तावेजोंको प्रस्तुत करने का निर्देश दिया कि वह वाणिज्यिक इनवॉयस और अन्यप्रासंगित समर्थक दस्तावेजों के बीच के संबंध को स्पष्ट करते हुए स्पष्टीकरण प्रदान करें। यह अवलोकन किया गया है कि किंगडेकोर इन अनुदेशों का अनुसरण करने में असफल रहा है क्योंकि वाणिज्यिक इनवॉयस और संलग्न दस्तावेजों के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए उसकी ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया गया है।

50. इसके अतिरिक्त, किंगडेकोर ने इसके निर्यातकके प्रश्नावली उत्तर (ईक्यूआर) के साथ मूल से प्रस्तुत किए गए परिशिष्ट 3क के संशोधित पाठ को प्रस्तुत करते हुए सत्यापन दस्तावेजों सहित "परिशिष्ट-किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लिमिटेड परिशिष्ट 3क-सुधार" शीर्षक से एक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तथापि, ऐसे संशोधन केलिए कारणों केसंबंध में किसी स्पष्टीकरण या औचित्यको न तो कवरिंग ई-मेल और न ही संशोधित परिशिष्ट 3क में अन्तर्निहित किया गया है। यह देखा गया है कि भारत को निर्यात कीमत में समायोजनों से संबंधित संशोधनों को संशोधित दस्तावेज में शामिल किया गया है जो किसी सूचना, स्पष्टीकरण अथवा औचित्य के बिना प्रश्नावली उत्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण है। इसके अतिरिक्त, बैंक प्रभारों, जिनका मूल ईक्यूआर में प्रकटीकरण नहीं किया गया था, को प्रमाणित करने के लिए किसी स्पष्टीकरण टिप्पणी अथवा पुष्टिकारी साक्ष्य केबिना संशोधित अनुरोध में अब रिपोर्ट किए गए हैं। ये विसंगतियां किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की संपूर्णता, शुद्धता और विश्वसनीयता पर शंका उत्पन्न करती हैं। प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने स्वयं ही प्रश्नावली उत्तर को संशोधित किया है, वह भी बिना किसी सूचना के स्पष्टीकरण अथवा औचित्य के, इस प्रकार मूल प्रश्नावली निरर्थक हो गई है। महत्वपूर्ण संशोधनों के लिए औचित्य की अनुपस्थिति और सुस्पष्ट अनुदेशों का अनुपालन करने में असफलता ने चल रही जांच के संदर्भ में प्रस्तुत की गई सूचना की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।"

51. जारी जांच को ध्यान में रखतेहुए, यह साक्ष्यहै कि किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लिमिटेड ने वर्तमान जांच केसाथ पूरी तरह से सहयोग नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, उत्पादक ने मूल जांच में महत्वपूर्ण जांच को भी छुपाया है, जिसके आधार पर प्राधिकारी ने किंगडेकोर को पृथक शुल्क प्रदान किए हैं। साथ ही वर्तमान जांच में महत्वपूर्ण सूचना को छिपाना, अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफलता, असंगत प्रकटीकरण और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क कीपहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (पाटनरोधी नियमावली) के नियम 6(8) के तहत असहयोग को स्थापित करने वाले विशिष्ट अनुदेशों के गैर-अनुपालन। प्राधिकारी ने किंगडेकोर और उत्पादक से आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में परिवर्तन किया है और उत्पादक को शेष शुल्कों के अधीन होना पड़ेगा।

52. उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि, यह मामला किंगडेकोर (झेजियांग) कं. लिमिटेड को छोड़कर, चीन से आवेदक निर्यातक अथवा किसी अन्य उत्पादक के लिए पृथक मार्जिन के पुन: परिमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है ।

ज. <u>प्रकटन पश्चात टिप्पणियां</u>

ज.1 <u>अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध</u>

53. प्रकट विवरण जारी होने के बाद अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. लागत संरचनाओं, उत्पाद मिश्रण और बाजार स्थितियों में परिवर्तन के कारण, पाटनरोधी शुल्क का पुनः मात्राकरण आवश्यक है।
ii. कच्चे माल और इनपुट की लागत में काफी बदलाव आया है और इसने निर्यातक की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया है।
iii. प्राधिकारी का यह अवलोकन कि परिस्थितियों में कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं हुआ है, अनुचित है।
iv. क्षति और पाटन मार्जिन का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
v. अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले टिप्पणियों को शामिल करने के लिए एक संशोधित प्रकटन विवरण जारी किया जाए।
vi. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) की एक स्पष्ट परिभाषा दी जानी चाहिए और "मुद्रित तैयार-से-उपयोग सजावटी कागज को छोड़कर" शब्दों को हटा दिया जाना चाहिए।
vii. उत्पाद वर्गीकरण में अस्पष्टता के कारण आयात के समय भ्रम और प्रशासनिक कठिनाइयाँ हुई हैं।
viii. घरेलू उद्योग की धोखाधड़ी के बारे में चिंताएँ निराधार हैं, क्योंकि धोखाधड़ी के मुद्दों को नियम 25 के तहत एक अलग जाँच के माध्यम से उसका समाधान किया जा सकता है।
ix. विंबोन एक नया उत्पादक/निर्यातक है जो मूल जांच का हिस्सा नहीं था और उसे अपने स्वयं के आंकड़ों के आधार पर एक अलग पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना चाहिए।
x. किंगडेकोर के गलत बयानों ने क्षति विश्लेषण को विकृत कर दिया है और जांच की निष्पक्षता को प्रभावित किया है।
xi. पाटन मार्जिन गणनाओं को उच्च-मूल्य वाले उत्पाद की बिक्री अलग से मानना चाहिए।

xii. घरेलू उद्योग और अन्य निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत कुछ अनुरोध अत्यधिक संपादित किए गए हैं।

xiii. किंगडेकोर प्राधिकारी के इस निष्कर्ष का विरोध करते हैं कि वह असहयोगी था।

xiv. इसने सभी संगत सूचना समय पर प्रस्तुत की और संकेत दिए जाने पर अपने उत्तरों को स्पष्ट किया।

xv. किंगडेकोर ने दोहराया कि नंबर 158 एक स्वतंत्र इकाई नहीं है, बल्कि उसी कंपनी के तहत एक कार्यशाला है और सभी लेखांकन, बीजक और पंजीकरण नंबर 20 तियानहु साउथ रोड से केंद्रीय रूप से संचालित किए जाते हैं।

xvi. किंगडेकोर का तर्क है कि नंबर 158 का प्रकटन अनिवार्य नहीं था क्योंकि यह एक अलग कानूनी इकाई नहीं थी।

xvii. शाह इंटरनेशनल सर्विसेज, भारत में संचालित एक गैर-संबंधित इंडेंट एजेंट है और भुगतान किए गए सभी कमीशन का प्रकटन परिशिष्ट-7 में प्रत्यक्ष बिक्री व्यय के तहत किया गया था।

xviii. किंगडेकोर ने स्पष्ट किया कि केडी और एक्सएच दोनों श्रृंखलाएं इसके द्वारा उत्पादित की जाती हैं और एक्सएच श्रृंखला का उपयोग पहले कम-अंतिम उत्पादों के लिए किया जाता था, लेकिन विपणन रणनीति के कारण जुलाई 2022 के बाद उपसर्ग हटा दिया गया था।

xix. किंगडेकोर ने इस बात से इनकार किया कि झेजियांग जियानहे या जियानहे कंपनी लिमिटेड ने एक्सएच-कोडित वस्तु का उत्पादन किया है।

xx. किंगडेकोर का दावा है कि केडी और एक्सएच श्रृंखला को दर्शाने वाले पूर्ण उत्पाद ब्रोशर और नमूना पुस्तिकाएं प्रस्तुत की गई थीं।

xxi. किंगडेकोर प्रतिक्रिया में विलंब को स्वीकार करता है लेकिन इसे अनुरोध पर भ्रम के कारण मानता है और दावा करता है कि उन्होंने सत्यापन चरण के दौरान पर्याप्त अनुरोध किए थे और इससे प्रतिक्रिया को पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

xxii. इसने आगे अनुरोध किया कि संशोधित परिशिष्ट 3 क पहले की अनजाने में हुई चूक को ठीक करने के लिए प्रस्तुत किया गया था और सभी परिवर्तन सटीक रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के अनुरूप थे और गुमराह करने के लिए नहीं थे।

xxiii. किंगडेकोर ने अनुरोध किया है कि प्राधिकारी उसके प्रश्नावली के उत्तर को स्वीकार करें तथा सत्यापित आंकड़ों के आधार पर व्यक्तिगत पाटनरोधी शुल्क मार्जिन निर्धारित करें।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

54. घरेलू उद्योग ने प्रकटन विवरण जारी होने के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की अनदेखी से बचने के लिए "उपयोग के लिए तैयार" शब्द जोड़े गए थे।

ii. यदि प्राधिकारी पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में परिवर्तन करने और व्यापक समीक्षा के अनुसार सभी मापदंडों की जांच करने का निर्णय लेते हैं, तो घरेलू उद्योग अनुरोध करता है कि समीक्षा के बाद शुल्क को पांच साल की अवधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए।

iii. किंगडेकोर ने महत्वपूर्ण सूचना को दबा दिया है और उस पर शेष शुल्क लगाया जाना चाहिए।

ज.3 <u>प्राधिकारी द्वारा जांच</u>

55. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए प्रकटन के बाद अनुरोधों की जांच की है और नोट करते हैं कि कई अनुरोध पुनरावृत्तियाँ हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है और अंतिम जांच परिणामों के संगत पैरा में पर्याप्त रूप से उनका समाधान किया गया है। हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा प्रकटन के बाद की टिप्पणियों/अनुरोधों में पहली बार उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा संगत माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

56.प्राधिकारी ने पहले ही लागत प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है और पाया है कि घरेलू और निर्यातक दोनों उत्पादकों के लिए कच्चे माल की लागत में वृद्धि हुई है। आयातों की भारित औसत पहुंच कीमत कच्चे माल की लागत से थोड़ी कम बढ़ी है, जिससे पुनः मात्रा निर्धारण अनावश्यक हो गया है। इसके अलावा, कच्चे माल की लागत में वृद्धि की तुलना में आयात कीमत में कम वृद्धि पाटनरोधी शुल्क की मात्रा में वृद्धि को उचित ठहराएगी, जबकि वर्तमान आवेदन पाटनरोधी शुल्क में कमी की मांग करने वाले निर्यातक/आयातक द्वारा दायर किया गया है। यह भी नोट किया जाता है कि यह प्रदर्शित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि लागत में परिवर्तन स्थायी प्रकृति के हैं जो पाटनरोधी शुल्क के निर्धारण को वास्तविक रूप से प्रभावित करेंगे। प्रकटन विवरण के उत्तर में भी, यह साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है कि उनके द्वारा पहचाने गए परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी प्रकृति के थे।

57.प्राधिकारी ने नोट किया कि 'प्रिंटेड रेडी-टू-यूज़ डेकोर पेपर' को छोड़कर "रेडी-टू-यूज" शब्द व्यक्तिपरक है और उत्पाद के दायरे को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण है जो कि महत्वपूर्ण है। जैसा कि कुछ दलों द्वारा तर्क दिया गया है, प्राधिकरण इस बात से सहमत है कि यह कुछ उदाहरणों में वर्गीकरण और कार्यान्वयन में अनिश्चितता पैदा कर सकता है। चूंकि प्रिंटेड डेकोर पेपर पहले

से ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है, इसलिए प्राधिकारी का मानना है कि इस वाक्यांश को हटाने से मूल परिभाषा का आशय नहीं बदलता है और आयातकों द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी कार्यान्वयन कठिनाइयों को दूर करेगा। इसलिए, प्राधिकारी स्पष्टता और आसानी सुनिश्चित करने के ए "रेडी-टू-यूज" वाक्यांश को हटाने की सिफारिश करते हैं।

58. प्राधिकारी स्वीकार करते हैं कि नए उत्पादक/निर्यातक जो जांच की मूल अवधि के दौरान भारत को उत्पाद निर्यात नहीं कर रहे थे तथा जिन्होंने वर्तमान जांच में भाग लिया है। तथापि, वर्तमान जांच के अनुसार उक्त उत्पादक/निर्यातकों को व्यक्तिगत मार्जिन प्रदान नहीं किया जा सकता है। वर्तमान जांच विचाराधीन उत्पाद के दायरे की समीक्षा करने तथा आवेदकों द्वारा आरोपित परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर मार्जिन का पुनः मात्रा निर्धारण करने के लिए शुरू की गई थी। चूंकि परिस्थितियों में परिवर्तन के संबंध में पुनः मात्रा निर्धारण के लिए आधार मौजूद नहीं हैं, इसलिए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच में किसी भी उत्पादक के लिए पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन निर्धारित नहीं किया है। इस नियमावली में नए शिपर्स के मामले में व्यक्तिगत पाटन मार्जिन की मांग करने के उपाय का प्रावधान है, तथा नए उत्पादक/निर्यातक संबंधित नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

59. प्राधिकारी पुष्टि करते हैं कि किसी भी उत्पादक के लिए पुनः मात्रा निर्धारण की आवश्यकता नहीं है। किंगडेकोर को छोड़कर इन प्रतिवादियों के लिए शुल्क संरचना अपरिवर्तित बनी हुई है। चूंकि उनके शुल्क में कोई संशोधन नहीं किया जा रहा है, इसलिए संशोधित प्रकटन विवरण अनावश्यक है। इसके अलावा, प्रकटन विवरण जारी करने के पश्चात सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राप्त टिप्पणियों को वर्तमान अंतिम जांच परिणामों में शामिल किया गया है।

60. प्राधिकारी किंगडेकोर के इस तर्क पर गौर करते हैं कि उसने सभी आवश्यक सूचनाएं प्रस्तुत कर दी हैं। प्राधिकारी का मानना है कि उक्त उत्पादक ने मूल जांच के साथ-साथ वर्तमान जांच में भी आवश्यक तथ्यों को छिपाया है।

61. प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यातक ने कहा है कि उसने अनुपूरक प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया था। उक्त उत्तर प्राधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ। किसी भी मामले में, वर्तमान जांच परिणामों में प्राधिकारी का निष्कर्ष प्राधिकारी द्वारा वांछित अनुपूरक सूचना पर आधारित नहीं है।

62. जबकि किंगडेकोर ने अब 158 टोंगजियांग रोड पर सुविधा के होने को स्वीकार कर लिया है, लेकिन न तो मूल जांच में और न ही वर्तमान जांच में दाखिल प्रश्नावली के उत्तर में इसे प्रकट किया गया था। निर्यातक प्रश्नावली में स्पष्ट रूप से सभी उत्पादन सुविधाओं के प्रकटन की आवश्यकता है, चाहे वे कानूनी रूप से अलग क्यों न हों। डीजी प्रणाली का

आंकड़ा दर्शाता है कि क्षति जांच अवधि में उक्त परिसर से बीजक जारी किए गए थे। निर्यातक ने स्वीकार किया कि उक्त संयंत्र से संबंधित वस्तुओं का उत्पादन और निर्यात किया जा रहा है। प्राधिकारी का मानना है कि इस उत्पादन स्थल का प्रकट न करना तथ्यों को दबाने जैसा है।

63. किंगडेकोर का दावा है कि शाह इंटरनेशनल सर्विसेज एक असंबंधित एजेंट है। हालांकि, किंगडेकोर द्वारा प्रस्तुत 1 जनवरी 2019 के करार से पता चलता है कि शाह इंटरनेशनल सर्विसेज को भारत में एक वाणिज्यिक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें एक कमीशन संरचना थी। प्राधिकारी नोट करते हैं वर्तमान जांच में किंगडेकोर के उत्तर में इस संबद्धता का प्रकटन नहीं किया गया था, और भुगतान किए गए कमीशन को समायोजन के लिए संगत परिशिष्टों में सूचित नहीं किया गया था। इसने निर्यात कीमत निर्धारण के लिए संगत महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने जैसा है।

64. प्राधिकारी नोट करते हैं कि किंगडेकोर ने बिना किसी व्याख्या, स्पष्टीकरण अथवा सहायक दस्तावेज के संशोधित उत्तर प्रस्तुत किया। इस संशोधित अनुरोध ने निर्यात कीमत और बैंक शुल्क में समायोजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए, जिन्हें पूर्व में प्रकट नहीं किया गया था। किसी भी औचित्य या सह-संबंध विश्लेषण नहीं होना सूचना की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

65. प्राधिकारी पुन: पुष्टि करते हैं कि किंगडेकोर का आचरण और महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के तात्पर्य से असहयोग के बराबर है।

झ. निष्कर्ष और सिफारिशें

66. सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों और उनमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने के बाद; तथा अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि:

i. मुद्रित सजावटी कागज को शीर्षक 4811 के अंतर्गत आयात किया जाता है तथा इसे पहले ही विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा जा चुका है। घरेलू उद्योग मुद्रित सजावटी कागज का निर्माण नहीं करता है।

ii. वाक्यांश "उपयोग के लिए तैयार" की व्याख्या व्यक्तिपरक तरीके से की जा सकती है तथा यह अपवर्जन की सटीकता में कोई मूल्य नहीं जोड़ता है। उक्त शब्दों को विचाराधीन उत्पाद की परिभाषा से हटाया जा रहा है।

iii. आवेदन, विचाराधीन उत्पाद की लागत तथा कीमत में परिवर्तन तथा आवेदक निर्यातक द्वारा भारत को निर्यात किए जा रहे उत्पाद मिश्रण के आरोपों के आधार पर मध्यावधि समीक्षा आरंभ करने के लिए दायर किया गया था।

iv. घरेलू उद्योग मुख्य रूप से संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आयातित लुगदी का उपयोग करता है। चूंकि लुगदी की लागत में वृद्धि हुई है, इसलिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत भी मूल जांच की अवधि की तुलना में जांच की अवधि में बढ़ गई है। यह आरोप तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन लागत में वृद्धि नहीं देखी, क्योंकि यह कैप्टिव रूप से उत्पादित लुगदी का उपयोग करता है।

v. यह आरोप कि भारत को उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन हुआ है, सिद्ध नहीं हुआ है क्योंकि मूल जांच अवधि के दौरान आयात किए जा रहे पीसीएन अभी भी आयात किए जा रहे हैं।

vi. संबद्ध आयातों के भारित औसत पहुंच कीमत में घरेलू उद्योग के कच्चे माल की भारित औसत लागत में वृद्धि की तुलना में कम वृद्धि हुई है। इसके अलावा, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक निर्यातक के पहुंच कीमत में चीन से पहुंच मूल्य कीमत में वृद्धि और घरेलू उद्योग के कच्चे माल की लागत में वृद्धि की तुलना में भी कम वृद्धि हुई है।

vii. आवेदक निर्यातक द्वारा पहचानी गई परिस्थितियां सामान्य मूल्य को प्रभावित किए बिना निर्यात कीमत को एकतरफा रूप से प्रभावित नहीं करती हैं। इस प्रकार, पहचानी गई परिस्थितियों में परिवर्तन के आधार पर मार्जिन के पुनः निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

viii. न तो यह सिद्ध किया गया है कि परिस्थितियों में परिवर्तन स्थायी प्रकृति का है और न ही यह कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति या संशोधन के मामले में क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना का अभाव है।

ix. किंगडेकोर ने महत्वपूर्ण सूचना को दबा दिया है और इसलिए इसे गैर-सहकारी निर्माता के रूप में माना जाता है।

67. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के पहलू, परिस्थितियों में बदलाव और मार्जिन के पुन: मात्रा निर्धारण की आवश्यकता पर सकारात्मक सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था। पाटनरोधी नियमावली के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकारी का विचार है कि किंगडेकोर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड को छोड़कर चीन जन.गण. में उत्पादकों पर लागू पाटनरोधी शुल्क के पुन: मात्रा निर्धारण की कोई आवश्यकता नहीं है।

68. पूर्वोक्त को देखते हुए, प्राधिकारी नीचे दिए गए अनुसार किंगडेकोर (झेजियांग) कंपनी लिमिटेड से आयात पर लगाए गए व्यक्तिगत शुल्क को अंतिम जांच परिणाम अधिसूचना

संख्या 6/38/2020-डीजीटीआर दिनांक 28 सितंबर 2021 और अधिसूचना संख्या 77/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 दिसंबर 2021 के माध्यम से वापस लेने की सिफारिश करते हैं। अन्य उत्पादकों के संबंध में, पहले लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जारी रहेगा।

69. शुल्क अधिसूचना संख्या 77/2021 - सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 27 दिसंबर 2021 के जारी होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी रहेंगे। तदनुसार, विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित एंटी-डंपिंग कर्तव्यों, चीन पीआर से उत्पन्न या निर्यात की गई या तत्काल मध्यावधि समीक्षा जांच में प्राधिकरण की सिफारिश को शामिल करते हुए, कर्तव्य के प्रतिबंध की शेष अवधि के लिए विशेष होगा, जैसा कि नीचे दिए गए ड्यूटी टेबल में संकेत दिया गया है।

क्र.सं.	प्रशुल्क मद	विवरण *	मूलता देश	निर्यात का देश	उत्पादक	राशि	यूनिट	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	शेडोंग बॉक्सिंग ओहुआ स्पेशल पेपर कं, लिमिटेड	110	एमटी	यूएसडा.
2	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	ज़िबो ओयू-एमयू स्पेशल पेपर कंपनी लिमिटेड	110	एमटी	यूएसडा.
3	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. सहित कोई भी देश	हांग्जो हुआवांग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	297	एमटी	यूएसडा.
4	4805 9100,	डेकोर पेपर	चीन	चीन जन.गण.	क्रम संख्या	542	एमटी	यूएसडा.

	4802 2090		जन.गण.	सहित कोई भी देश	1, 2 और 3 के अलावा कोई भी उत्पादक			
5	4805 9100, 4802 2090	डेकोर पेपर	चीन जन.गण. के अलावा कोई भी देश	चीन जन.गण.	कोई	542	एमटी	यूएसडा.

**40-130जीएसएम के रील रूप में बिना लेपित कागज, जिसमें 10 मिनट में कम से कम 12 मि.मी. की क्लेम अवशोषण क्षमता, 6-12 एन/15 मि.मी. की गीली तन्य शक्ति और 10-40 सेकंड/100 मिलीलीटर की गुर्ली छिद्रता हो, जिसमें भराव के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड या रंगद्रव्य हों। यह उच्च दाब (एचपीएल) या निम्न दाब (एलपीएल) सजावटी लेमिनेट के लिए आधार कागज है, जिसे डेकोर पेपर, सजावटी आधार कागज, उच्च दाब या निम्न दाब लेमिनेट के लिए सजावटी कागज, कोटिंग आधार कागज और प्रिंट आधार कागज के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन इसमें 4811 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है।*

विचाराधीन उत्पाद में विभिन्न प्रकार के डेकोर पेपर जैसे सरफेसिंग पेपर (सफेद/ऑफ-व्हाइट), बेरियर पेपर, शटरिंग आधार, ओवरले पेपर और मुद्रण आधार पेपर(रंगीन/सफेद) शामिल है ***लेकिन इसमें 4811 के अंतर्गत वर्गीकरण योग्य मुद्रित डेकोर पेपर शामिल नहीं है।*** *वैक्सीन, कोटिंग और इम्प्रेगेनेशन के लिए बेस पेपर; मुद्रण के लिए बेस पेपर; सजावट उद्योग में उपयोग के लिए बेस पेपर और अवरोधक पेपर के रूप में इनका आयात किया जा सकता है और ये विभिन्न आकारों जैसे 95 से.मी., 96 सेमी, 102 से.मी., 123 से.मी., 123.5 से.मी., 124 से.मी., 124.5 से.मी., 125 से.मी., 131 से.मी., 132 से.मी., 183 से.मी., 184 से.मी. और 185 से.मी. में आ सकते हैं।*

ञ. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

70. इन अंतिम जांच परिणामों में निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारण के विरुद्ध कोई अपील अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष की जाएगी।

दर्पण जैन

(दर्पण जैन)

निर्दिष्ट प्राधिकारी